

आईआईटी ने स्पीड पोस्ट से भेजी चाबी

रजिस्ट्रार आने के बाद यूनिवर्सिटी देगी जवाब



आईआईटी ने परिसर के बाहर जो मेंटेनेंस कराना था, वह नहीं कराया। उखड़ी सड़क का फोटो।

इंदौर। आईआईटी के प्रोफेसर पर छोटी सोच का आरोप लगाने के बाद विश्वविद्यालय ने भी कड़े जवाब का मन बन लिया है। हालांकि आईआईटी द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजी गई चाबी जरूर विवि ने बुधवार को प्राप्त कर ली। इसी बीच कार्यवाहक कुलपति ने आईआईटी निदेशक को फोन किया और मिलकर मामला सुलझाने की बात कही।

आईआईटी ने मंगलवार को विवि और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर आईआईटी के प्रशासनिक अधिकारी परेश अत्रे पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। पत्र में लिखा था कि छोटी सोच के कारण आईआईटी ने कैपस खाली किया है। आईआईटी ने इस पत्र को एमएचआरडी, जिला प्रशासन के साथ ही विवि रजिस्ट्रार आरडी मूसलगांवकर को भेजा था। रजिस्ट्रार अभी छुट्टी पर हैं। उनके आने के बाद ही विवि की ओर से अगला कदम उठाया जाएगा।

बेफिक्र रहें अधिकारी : प्रकरण सामने आते ही आईआईटी निदेशक व प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाहक कुलपति प्रो. आशुतोष मिश्र से मिले। प्रो. मिश्र ने अधिकारियों को बेफिक्र रहने को कहा। उनके निर्देश के बाद विभाग ने चाबी तो ले ली, लेकिन अभी जिस लिफाफे में चाबी आई है, उसे नहीं खोला गया है। इसके पहले कई दफा आईआईटी ने चाबी आईआईटी को सौंपने की कोशिश की थी लेकिन आईआईटी ने पुराना हिसाब-किताब साफ न होने के कारण चाबी नहीं ली थी।

बकाया पैसा लौटाया जाए :

आईआईटी ने आईआईटी के ई व एम ब्लॉक में अंदर रिपेयरिंग का काम पूरा करवा दिया है। आईआईटी सड़क का पैचवर्क भी चाहता है। नपती के हिसाब से पांच हजार वर्गमीटर का किराया देना था लेकिन आईआईटी ने अप्रैल 2013 से 414 वर्गमीटर का किराया कम कर दिया था। इसके पीछे इतनी जगह का उपयोग न होने का तर्क दिया गया था। आईआईटी का कहना है नपती प्रशासन ने करवाई थी इसलिए आईआईटी अपने हिसाब से जगह कम नहीं कर सकता था। इसलिए बकाया 10 लाख से ज्यादा का पैसा लौटाया जाए।

उचित कदम उठाएंगे

आईआईटी का पत्र प्राप्त हुआ है। अभी रजिस्ट्रार नहीं हैं। उनके आने पर चर्चा कर उचित कदम उठाया जाएगा।

— प्रो. आशुतोष मिश्र, कार्यवाहक कुलपति देअविधि (मामले में आईआईटी के जनसंपर्क अधिकारी से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।)